

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश~

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग । खण्ड [ख]
[परिनियत आदेश] ~

लखनऊ सोमवार, 17 जुलाई 1978
आपाण 26, 1900 शक सम्वत्, उत्तर प्रदेश सरकार आवास अनुभाग—३
संख्या 2127/37-3-21 आर० बी० ओ०/62,

लखनऊ 17 जोलाई, 1978

अधिगूर्चन संख्या, 2127/37-3-1, आर० बी० ओ०/62 को
प्रति शुद्ध पत्र सं. 5678/37-3-21, आर० बी० ओ०/62
दिनांक लखनऊ 23 मार्च, 1979 द्वारा संशोधित

प. आ. 293, अन्तर्गत अधिनियम की धोरा ३ की उपधारा [1], के अधीन शक्ति का अव्यवस्थित वितरण भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की विद्युती को रोकने के लिए और उपयुक्त योजना की इष्टि से उत्तर प्रदेश [निर्माण कार्य विनियमन], अधिनियम, 1958 [उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 34, 1958] के अधीन विनियमन करना अपेक्षित है।

अतएव अब उक्त अधिनियम की धोरा ३ की उपधारा [1], के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त पूर्ववर्ती सूचनाओं को अतिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित होने के द्विनांक से, निम्नलिखित क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र प्रब्ल्यापित करते हैं।

विनियमित क्षेत्र सहारनपुर

[1] सहारनपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र और [2] जिला सहारनपुर की तहसील सहारनपुर और नकुड़ के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।


१ दया राजपुरा	७ मानकपठ	१३. शेखपुरा कदीम
२ दया पिलकाना	८ दराशिवपुरी स्वाद	१४. दाबकी जुनारदार
३ दरा कोटवाला	९ गवालीरा	१५. माहोपाठ
४ दरा अली स्वाद सहारनपुर	१० मोहम्मदपुर	१६. खानआलमपुरा
५ येथ द्वापर	११ पंजोरा	१७. मठानपुरा
६ दाग कलातवाला	१२ ईरणाहपुर	१८. चक लालू

✓ 19	पोवेली युरा	47	दमही	75	प्रवस्त्रो बोउलीन्युर
✓ 20	केनाम्पुर	48	कादायुर माको	✓ 76	हायत्युर क्लीय
✓ 21	पर्स्युरा	49	हायायुर	✓ 77	पुन्तायुर मरवता
✓ 22	पोहायट्युर गावा	✓ 50	होवेली	78	विफ्टी
✓ 23	गडक ट्रूपलो	51	अम्बुस्तायुर	✓ 79	सावस्त्युर ववादा
✓ 24	बमायुर	52	चन्द्र मवरा	✓ 80	<u>पिट्वानी</u>
✓ 25	पार्वनी यूग्महायट्युर	53	दावसी गूवर	81	सेच्युरा
✓ 26	सम्मातलो घूंदे	✓ 54	विसेवना	✓ 82	चुग्हेली गाडा
✓ 27	घूंदे	55	विसेवना ववाज	✓ 83	मवो घूंदे
✓ 28	चक होली	✓ 56	ओगुर	✓ 84	मवो न्ही
✓ 29	चक सेवदयादा	✓ 57	वल्हेला ववाज	85	गवत्युर पजरा तहर्युर
✓ 30	तिप्पायुर	✓ 58	चक आदग्युर	✓ 86	ताहिल्युर
✓ 31	दयोना	59	पोसोप्या	✓ 87	बावग्याहायुर
✓ 32	चक पाराप मार्को चाद	✓ 60	बोद्युर	88	पो» वहमोत्युर
✓ 33	गड	✓ 61	युवलिस्त्युर	89	युव्युर मुत्युर
✓ 34	गोकुम्पुर	✓ 62	इग्याइस्त्युर	90	एप्युर अहायाल
✓ 35	देवला	✓ 63	चक कामोशाला	✓ 91	सावलो यु.
✓ 36	गाको	64	वेलवाला	✓ 92	लघलो अ.
✓ 37	मिळ्युर पजरा गोको	65	क्षपो युवर	✓ 93	क्षासा अ.
✓ 38	गोम्पुर भूल्ही	66	केप्युर	94	गेप्यायुर यु.
✓ 39	जगरायुर	67	वत्तेलो ववाज	95	गेप्यायुर अ.
✓ 40	युल्यायुर क्लीय	✓ 68	उगाली	96	दूप्यो वुल्यायुर यु.
✓ 41	गूव्यो	✓ 69	झेपे	97	दूप्यो वुल्यायुर अ.
✓ 42	यन युत्योन	✓ 70	जगरायुर	98	चक गेप्यायुर
✓ 43	चक देवली	✓ 71	वितिया	99	दूप्यो यु.
✓ 44	इत्योलो गोगद	✓ 72	वम्नोलेहा	100	गोली मवरा
✓ 45	पंसायुर	73	काको मवरा	101	कुप्हारेला
✓ 46	हवायुर	✓ 74	पतेहुर जद	102	गावे ओ उक्स्युर

आज्ञा :

धी० जे० खोदाया

सुनि



राज्य गोपनीय प्रधानमंत्री
लाइसेन्स नं ०४५६८०-३१
व लाइसेन्स द पोस्ट एवं फोन गवर्नर ऑफ़ रिंगनेर एवं

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा घोषित

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा घोषित

असाधारण

विधायी पारिषद

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, ५ मई, १९९५

वेशाव १५, १९१७ तक सम्भव

उत्तर प्रदेश सरकार

आवाय अनुभाग-५

संख्या १३४७/१-प्रा-५--९५-६४-०१०५०-८३

लखनऊ, ३ मई, १९९५

अधिगृहनमा

प्रा०--३०५

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति विभिन्नम (परिषदारों द्वितीय पुल: अधिनियम) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश संघ ३० मई १९७४) द्वारा परिषदारों संघीय पाला पुल: अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर पोजना और काम विभिन्नम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संघीय ११ मई १९७३) को घारा ४ की उत्तरारा (१) और (७) कार्यालय विभिन्न प्रयोग द्वारा राज्यपाल गवर्नरी अधिकार्यकाल संघीय २२१/१-प्रा-५-९५-६४-०१०५०-८३, विनायक १९०५ में लालीन इस रूप में घोषित शहराम्बुर विभाग क्षेत्र के लिये एक अधिकारण का, जो यहाँ की नीवे दिना है, यद्यपि करते हैं जो शहराम्बुर जिलाद्वारा प्राप्तिकरण कर्तव्यमाना।

शहराम्बुर विभाग प्राप्तिकरण

- | | |
|--|-----------|
| (१) संचयन विभाग, संचयन, विभाग | प्राप्ति |
| (२) जिला परिषद, शहराम्बुर | उपाप्ति |
| (३) राज्य सरकार के द्वारा विभाग का संचिव या उभारा सामनियेंशिती जो संचयन संचय में अभिन्न पंजीयत का है | पदेन सावध |
| (४) राज्य सरकार के विभ विभाग का संचिव या उभारा सामनियेंशिती जो संचयन संचय में अभिन्न पंजीयत का है | पदेन सावध |

- (5) मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त योग्यताकार, उप प्र०, लक्ष्मण या उपकार चाम-निवैशिली की समिक्षातो पदेन पदत्व
भविष्यतो पा यमर योग्यताकार से ज्ञानमन्त्र पंचत का है।
- (6) प्रदेश-निवैशिली, यज्ञ निवैशिली, उप प्र०, लक्ष्मण या उपकार चाम-निवैशिली की समीक्षा
भविष्यतो से ज्ञानमन्त्र पंचत का है। पदेन पदत्व
- (7) मनुष्य विविधता, यज्ञ निवैशिली, उप प्र०, लक्ष्मण या उपकार चाम-निवैशिली की समीक्षा
भविष्यतो से ज्ञानमन्त्र पंचत का है। पदेन पदत्व
- (8) दलित (प्रसीदेट), नगर पालिका परिषद्, सहारानपुर पदेन पदत्व।

ग्राहा से,

विजय शर्मा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1347/IX-Awas-5-68-DA-83, dated May 3, 1995 :

No. 1347/IX-Awas-5-95-68-DA-83

Dated Lucknow, May 3, 1995

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (7) of section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts/Re-enactment with modification Act, 1974 (U. P. Act no. 20 of 1974) the Governor is pleased to constitute as under, an authority to be called the Saharanpur Development Authority for the Saharanpur Development Area declared as such under Government notification no. 721/IX-Awas-5-95-68 DA-83, dated May 3, 1995.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Commissioner, Meerut Division, Meerut | <i>Chairman</i> |
| 2. District Magistrate, Saharanpur | <i>Vice-Chairman</i> |
| 3. Secretary to the State Government Department of Housing or his nominee not below the rank of Joint Secretary | <i>Ex-officio member</i> |
| 4. Secretary to the State Government Department of Finance or his nominee not below the rank of Joint Secretary | <i>Ex-officio member</i> |
| 5. Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Executive Engineer or Town Planner | <i>Ex-officio member</i> |
| 6. Managing Director, Jal Nigam, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Superintending Engineer | <i>Ex-officio member</i> |
| 7. Engineer-in-Chief, Lok Nirman Vibhag, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee, not below the rank of Superintending Engineer | <i>Ex-officio member</i> |
| 8. President, Nagar Palika Parishad, Saharanpur | <i>Ex-officio member</i> |

By order,

VIJAY SHARMA,

Sachiv.

राज. सं. प्रा. उन्/एन.पी.म०७
सारांश गो ४८० पी०-४१
सारांश दृष्टि गो०२ कलाशन दृ०



सरकारी गज़ि, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 अगस्त, 1997

धावण 29, 1919 शक समवृ

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—५

फॉर्मा—३२२५/९-प्रा-५ ०७-८८ पी०८०-८३

लखनऊ, 20 अगस्त, 1997

अधिकृचना

१० अ०—७००

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिषदारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उ० प्र० अधिनियम संख्या—३० सन् १९७४) द्वारा पथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उ० प्र० नगर पोजना और निकात अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—१। सन् १९७३) की धारा—४ की उपचारा (७) के अधीन राजित का प्रयोग करते हुये धीरे राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिकृचना संख्या—१३४७/९ प्रा—५—३५—०८ डो०—८३, दिनों ३ मई, १९९५ को संवित्का कृप से प्रियोग करते हुये अधिकृचना, सहारनपुर दिकान प्राधिकरण के पद पर आपूर्त, मेरठ गढ़, गंडक के स्थान पर आपूर्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की नियुक्ति करते हैं।

आवा है,
अनुत्तर कुमार गुप्ता,
राजिका।

पी०८० पू० पी०—८० पी० ४८६ राजपत्र (हिं) —(१०४४) — १९९७—५९७+८०+३० (मैक्रो) ६

47

उत्तर प्रदेश शासन
 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10
 संख्या- 274 / आठ-10-16-3 गढ़न / 2008
 लघुनंज़ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-721/9-आ-5-95-68डी.ए./83, दिनांक 03 गई, 1995 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, सहारनपुर विकास क्षेत्र की रीमा में सहारनपुर तहसील के राजस्व ग्रामों की निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

103.	चककटोती	104.	शंकलापुरी ✓
✓105.	शाहपुर कदीग	106.	धकबदुल्ला सुल्तान
107.	सरखडी शेख ✓	108.	बाजिदपुर मजरा सरखडी शेख ✓
109.	चाटका ✓	110.	साम्बालका जूनारदार
111.	सलेमपुर गाडा ✓	112.	साम्बालकी शेख ✓
113.	मोहिउददीनपुर ✓	114.	गोंगल हेडी अहतमाल
115.	उग्राह मुस्तहकम ✓	116.	रसूलपुर पापड़की ✓
117.	जमापुरबरी मुस्तहकम	118.	जमापुरबरी अहतमाल
119.	बहेड़की अहतमाल ✓	120.	बहेड़की मुस्तहकम ✓
121.	घोधरेकी अहतमाल ✓	122.	बेरीतगा अहतमाल ✓
123.	बेरीतगा मुस्तहकम ✓	124.	चक बेरीतगा ✓
125.	हसनपुर भलरामा अहतमाल ✓	126.	हसनपुर भलरामा मुस्तहकम ✓
127.	कपासा मुस्तहकम	128.	मुसारकपुर ✓
129.	फिराजपुर अहतमाल ✓	130.	नन्दी अहतमाल ✓
131.	मल्हीपुर ✓	132.	जधड़ी ✓
133.	रसूलपुर	134.	फतेहपुर गुज्जर
135.	मोहनपुर गाडा ✓	136.	मगानी ✓
137.	तुगलकपुर	138.	छपरेडी
139.	चान्दनपुर ✓	140.	काकरकुड़ी ✓
141.	काकराला ✓	142.	रतनाखेड़ी ✓
143.	थरीली ✓	144.	कृष्णी ✓

आज्ञा से,

(पनधारी यादव)

सचिव।